शहर के बीच में आने वाले औद्योगिक भूखंड होंगे व्यावसायिक

अमर उजाला ब्यूरो

एमएसएमई नीति के तहत किए गए हैं कई अहम बदलाव

छोटी इकाइयों को राहत भी देगा एमएसएमई विभाग

लखनऊ। एमएसएमई विभाग छोटी इकाइयों को प्रोत्साहन के साथ ही राहत भी देगा। एमएसएमई नीति के तहत कई अहम बदलाव किए गए हैं। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र में आने वाले इंडस्ट्रियल भूखंडों को कॉमर्शियल या व्यावसायिक भूखंडों में बदला जा सकेगा।

इस फैसले से एक तरफ शहरी क्षेत्र के बीच में आने वाली इकाइयां बाहर होंगी तो दूसरी तरफ इन जमीनों को व्यावसायिक भूखंड का दर्जा मिलने से उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछले दस साल से उद्यमी इसकी मांग कर रहे थे। विकास प्राधिकरणों की सहमति के बाद इसे अमल में लाया जाएगा।

जिलों में स्थापित औद्योगिक आस्थान आज शहरी क्षेत्र के बीच में आ गए हैं। आबादी में आने के बाद हजारों भूखंडों में फैक्ट्रियां नहीं चल पा रही हैं। अब ऐसे भूखंडों में सेवा क्षेत्र या व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। एमएसएमई विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद के मुताबिक भूखंड प्रयोग बदलने के लिए प्राधिकरणों से भी बात की जा रही है। ये नीति तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, अल्कोहल, कार्बोनेटेड पेयपदार्थ, पटाखे, 40 माइक्रॉन से कम के प्लास्टिक बैग आदि की इकाइयों पर लागू नहीं होगी।

एमएसएमई सेक्टर को ढेरों सहूलियतें

- कॉमन इफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट, कॉमन फैसिलिटी सेंटर और रिसर्च व डिजायन सर्विस भी एमएसएमई नीति के दायरे में
- कुल पूंजी निवेश का अधिकतम 10 फीसदी जमीन की कीमत के बराबर सब्सिडी दी जाएगी।
- इसमें जमीन का क्रय मूल्य जोड़ा जाएगा। स्टांप शुल्क नहीं जुड़ेगा।
- कुल पूंजी निवेश का अधिकतम 10 फीसदी भवन निर्माण की मद में सब्सिडी दी जाएगी।
- आवंटित भूखंड पर किसी कारणवश फैक्टरी न लगा पाने की स्थिति में जमा धनराशि और भूखंड वापसी की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा।
- वर्तमान औद्योगिक इलाकों के रखरखाव व सुविधाओं के लिए उद्यमियों के सहयोग से एसपीवी का गठन किया जाएगा। एसपीवी में सरकार भी एक बार योगदान देगी।
- नगर निगमों द्वारा औद्योगिक इकाइयों से लिए जा रहे हाउस टैक्स संबंधी नीति को तर्कसंगत बनाया जाएगा।
- छोटी इकाइयों को दो करोड़ रुपये तक का लोन बैंक बिना गारंटी के देंगे। उनके लोन की गारंटी के लिए जरूरी वन टाइम फीस का भुगतान राज्य सरकार करेगी।

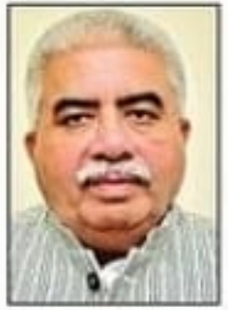

छोटी इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए लाई गई नीति से एमएसएमई सेक्टर का कायाकल्प हो रहा है। उद्यमियों के लिए सब्सिडी और सिंगल विंडो सिस्टम की प्रभावी निगरानी की जा रही है। भूखंड उपयोग परिवर्तन भी इसी का हिस्सा है। नई इकाइयों की स्थापना, पूंजी निवेश के लिए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित कर 15 फीसदी की विकास दर का लक्ष्य रखा गया है।

-राकेश सचान, एमएसएमई मंत्री